भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय
(मानव संसाधन विकास)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Central Board of Direct Taxes
Directorate of income tax
(Human Resource Development)

**F.No. HRD/ADG-II/127/02/2025-26/2225** **Dated: 14.07.2026**

# M E M O R A N D U M

Candidates who have been selected for appointment in CBDT to the posts of Inspector of Income Tax (B-15), Office Superintendent (B-33) and Tax Assistant (D-55) through the Combined Graduate Level Examination, 2025 are directed to indicate/exercise their region preferences, in order of priority, for allotment of 18 regions under the Income Tax Department (CBDT) across the country, on or before **20.07.2026.**

संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2025 के माध्यम से आयकर विभाग (CBDT) में आयकर निरीक्षक (B-15), कार्यालय अधीक्षक (B-33) तथा कर सहायक (D-55) पदों के पर चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे देशभर में आयकर विभाग (CBDT) के अंतर्गत उपलब्ध 18 क्षेत्रों में से अपनी क्षेत्रीय वरीयताएँ प्राथमिकता क्रम में **20.07.2026** तक अवश्य अंकित/प्रस्तुत करें।

**2.** The candidates are directed to access the online portal through the link https://cbdthrd.org/preference-link for submission of their preferences for allocation of region. The portal is to be accessed by the candidate using the Roll No. allotted by SSC, the Mobile Number provided to SSC, the Email ID provided to SSC, and the post for which selected. An OTP will be sent to the registered mobile number or the registered email ID of the candidate for the purpose of login.

**2.** अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे क्षेत्रीय वरीयताओं के प्रस्तुतिकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर https://cbdthrd.org/preference-link लॉगिन करें। पोर्टल में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को SSC द्वारा प्रदत्त रोल नंबर, SSC को दिया गया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा चयनित पद का उपयोग करना होगा। लॉगिन हेतु OTP अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।

**3.** In case a candidate is unable to access the portal owing to a change in mobile number or email ID, the following instructions are to be followed. The candidate is required to write an email with the subject line

"Unable to login – Roll No. ____________" to recruitmentcell.hrd@incometax.gov.in, furnishing the following particulars for updation of the mobile number/email ID for receipt

of OTP: (i) Name; (ii) Registration No. allotted by SSC; (iii) Roll No.; (iv) Date of Birth; (v) Email ID provided to SSC; (vi) Mobile Number provided to SSC; (vii) Mobile Number/Email ID sought to be updated; (viii) Father's Name and Mother's Name; (ix) Communication address provided to SSC; (x) Roll No., Year of Passing and Board of the Matriculation Examination, as provided to SSC; and (xi) A self-attested copy of the Aadhaar Card enclosed with the email.

**3.** यदि किसी अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी परिवर्तित हो जाने के कारण पोर्टल तक पहुँच संभव न हो, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाए। अभ्यर्थी को निम्न विषय के साथ ईमेल करना आवश्यक होगा: -

"Unable to login – Roll No. ______________" के साथ recruitmentcell.hrd@incometax.gov.in पर ईमेल भेजना होगा तथा OTP प्राप्ति हेतु मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी अद्यतन करने के लिए निम्न विवरण प्रस्तुत करना होगा: (i) नाम; (ii) SSC द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या; (iii) रोल नंबर; (iv) जन्म तिथि; (v) SSC को दिया गया ईमेल आईडी; (vi) SSC को दिया गया मोबाइल नंबर; (vii) अद्यतन हेतु मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी; (viii) पिता एवं माता का नाम; (ix) SSC को दिया गया पत्राचार पता; (x) SSC को दिया गया मैट्रिकुलेशन परीक्षा का रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष एवं बोर्ड; तथा (xi) ईमेल के साथ संलग्न आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।

**4.** On receipt of the email seeking change of mobile number/email ID, the particulars furnished by the candidate shall be verified against the information available in the dossier, and, if found in order, the candidate shall be informed accordingly upon updation of the details for accessing the portal. It may be noted that such requests shall be entertained ONLY if received at least three days prior to the due date for submission of preferences through the online module, i.e. on or before **16.07.2026**. Requests in this regard shall be made exclusively through email at the designated email ID (recruitmentcell.hrd@incometax.gov.in), and no request received through any other mode (hand delivery, speed post, courier, SMS, etc.) shall be entertained by this Directorate.

**4.** मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी परिवर्तन हेतु प्राप्त ईमेल में दिए गए विवरणों का सत्यापन अभ्यर्थी के डॉजियर में उपलब्ध जानकारी से किया जाएगा। यदि विवरण सही पाए जाते हैं, तो अभ्यर्थी को पोर्टल तक पहुँच हेतु अद्यतन की सूचना दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाए कि ऐसे अनुरोध केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वे वरीयताओं के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व, अर्थात् **16.07.2026**. तक प्राप्त हों। इस संबंध में अनुरोध केवल नामित ईमेल आईडी (recruitmentcell.hrd@incometax.gov.in) पर ही भेजे जाएँगे। किसी अन्य माध्यम (हस्तप्रेषण, स्पीड पोस्ट, कूरियर, SMS आदि) से प्राप्त अनुरोध इस निदेशालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**5.** Candidates are advised to request for change of their registered mobile number or email ID only in cases where they are unable to receive the OTP on both mediums simultaneously. The

online module has been designed in such a manner that if the OTP is successfully received on either the registered mobile number or the registered email ID, the Region Preference Form can still be accessed without difficulty.

**5.** अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में परिवर्तन का अनुरोध केवल तभी करें जब वे दोनों माध्यमों पर OTP प्राप्त करने में असमर्थ हों। ऑनलाइन मॉड्यूल इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यदि OTP पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी में से किसी एक पर सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है, तो क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

**6.** On successful login, a page containing Terms & Conditions will appear, and the Region Preference Form will be accessible only upon acceptance of these Terms & Conditions by the candidate:

(i) The candidates are to indicate their preferences for all CCAs and shall not leave any option blank.

(ii) The duly completed on-line proforma must be submitted by the due date, i.e. **20.07.2026,** failing which it shall be presumed that the candidate has no preference, and allocation shall be made on the basis of available unfilled vacancies.

(iii) The option for preferences shall be exercised only once, and no subsequent change shall be permitted.

(iv) The preferences of the candidates shall be considered final only when the on-line proforma is submitted by the due date, i.e. **20.07.2026.**

**6.** सफल लॉगिन के पश्चात् नियम एवं शर्तों वाला पृष्ठ प्रदर्शित होगा तथा क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा इन नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने पर ही सुलभ होगा:

(i) अभ्यर्थियों को सभी CCA हेतु अपनी वरीयताएँ अंकित करनी होंगी तथा कोई विकल्प रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा।

(ii) विधिवत पूर्ण ऑनलाइन प्रपत्र अंतिम तिथि **20.07.2026** तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी की कोई वरीयता नहीं है और आवंटन उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा।

(iii) वरीयताओं का विकल्प केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकेगा तथा बाद में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) अभ्यर्थियों की वरीयताएँ तभी अंतिम मानी जाएँगी जब ऑनलाइन प्रपत्र अंतिम तिथि **20.07.2026** तक प्रस्तुत कर दिया जाए।

**7.** The candidates shall also be required to upload their recent passport-size photograph and signature on the online module, in the format and file size specified therein, at the time of submission of their region preferences.

**7.** अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय वरीयताओं के प्रस्तुतिकरण के समय ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट प्रारूप एवं फ़ाइल आकार में अपलोड करना आवश्यक होगा।

**8.** The candidates are further directed to download and retain a copy of the duly submitted Region Preference Form for their future reference and record. There is no requirement to send this copy to this office.

**8.** अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे विधिवत प्रस्तुत क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र की एक प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में संदर्भ एवं अभिलेख हेतु उपलब्ध रहे। इस प्रति को इस कार्यालय को प्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. Candidates are cautioned that in case, **for any reason whatsoever, a candidate fails to or does not indicate his/her preferences through the online portal by <u>20.07.2026</u>, the REGION/STATE shall be allotted to him/her on the basis of merit-cum-preference and availability of vacancies by this Directorate, and NO REQUEST for change of the allotted region shall be entertained at any stage of the recruitment process**.

9. अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि **यदि किसी भी कारणवश कोई अभ्यर्थी <u>20.07.2026</u> तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी वरीयताएँ अंकित/प्रस्तुत करने में असफल रहता है या नहीं करता है, तो उस अभ्यर्थी को क्षेत्र/राज्य का आवंटन इस निदेशालय द्वारा *मेरिट-कम-वरीयता* तथा रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।** आवंटित क्षेत्र में परिवर्तन हेतु किसी भी प्रकार का अनुरोध भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सीमा भारती
14/07/2026

**(सीमा भारती /Seema Bharti)**
**सहायक आयकर निदेशक (भर्ती सेल)**
**(Assistant Director of Income Tax (Recruitment Cell)**
**सीबीडीटी(मा.सं.वि) नई दिल्ली।**
**CBDT(HRD), New Delhi**

Copy to: The Web Manager **[www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in)** with a request to place the letter on the website.

**प्रतिलिपि प्रेषित:** वेब प्रबंधक, [www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in), से अनुरोध है कि कृपया इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

सीमा भारती
14/07/2026

**सहायक आयकर निदेशक (भर्ती सेल)**
**(Assistant Director of Income Tax (Recruitment Cell)**
**सीबीडीटी(मा.सं.वि) नई दिल्ली।**
**CBDT(HRD), New Delhi**